

छत्तीसगढ़ शासन,
वित्त विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

// आदेश //

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई, 2012

क्रमांक 1208/एफ 1-07/2011/स्था./चार: राज्य शासन, एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा संवर्ग के निम्न अधिकारियों का स्थानांतरण करते हुए उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में दर्शाये अनुसार अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, तत्काल प्रभाव से पदस्थ करता है :-

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	रिमार्क
1.	2.	3.	4.	5.
1.	श्री समीर कुमार राऊत	संयुक्त संचालक, आयुक्त आबकारी, रायपुर	वित्त अधिकारी, स्वामी विवेकानन्द तकनिकी विश्वविद्यालय भिलाई	स्वयं के व्यय पर
2.	श्री रामकरण शुक्ला	वित्त अधिकारी, स्वामी विवेकानन्द तकनिकी विश्वविद्यालय भिलाई	संयुक्त संचालक, वित्त आयुक्त आबकारी एवं संयुक्त संचालक वित्त वाणिज्यिक कर का अतिरिक्त प्रभार	प्रशासनिक
3.	श्री उमेश अग्रवाल	संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर	संयुक्त संचालक, वित्त, संचालनालय, आदिम जाति एवं अनुसूचित जति विकास (अपर संचालक पद के विरुद्ध)	प्रशासनिक
4.	श्री अतीश कुमार पाण्डेय	वरिष्ठ लेखाधिकारी विधि. एवं विधायी कार्य विभाग,	संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर	प्रशासनिक
5.	श्री भागीरथी विशाल	संयुक्त संचालक, संचालनालय महिला एवं बाल विकास	संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, जगदलपुर	प्रशासनिक


क.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	रिमार्क
1.	2.	3.	4.	5.
6.	श्री आर.पी.एस.चौहान	संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, जगदलपुर	संयुक्त संचालक, वित्त, कार्या, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग(अपर संचालक, वित्त के पद के विरुद्ध)	प्रशासनिक
7.	श्री रेमोन टोप्पो	उप संचालक, संचालनालय, उद्यानिकी	वरिष्ठ लेखाधिकारी, जिला पंचायत, धमतरी	प्रशासनिक
8.	श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव	उपसंचालक, संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर	अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग	प्रशासनिक
9.	श्री जेरोम एक्का	जिला कोषालय अधिकारी, जांजगीर-चांपा	सहायक संचालक, संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर	प्रशासनिक
10.	श्री दिवाकर राठौर	जिला कोषालय अधिकारी, कांकेर	सहायक संचालक, कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, रायपुर	प्रशासनिक
11.	श्री मो इमरान खान	लेखाधिकारी, जिला पंचायत जशपुर	जिला कोषालय अधिकारी, कांकेर	प्रशासनिक
12.	श्री रामकिशन निराला	सहायक संचालक, संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर	जिला पंचायत, जशपुर एवं छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण जशपुर का अतिरिक्त प्रभार	प्रशासनिक

(Handwritten signature)

स्थानांतरित अधिकारी दिनांक 14 अगस्त, 2012 तक नवीन पदस्थापना पद पर अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण कर लें ।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त स्थानांतरण, स्थानांतरण नीति 2012-13 के निर्देशों के अनुसार संवर्ग क्षमता के 15 प्रतिशत से अधिक, अतिरिक्त 5 प्रतिशत के अंतर्गत है एवं इसके लिए समन्वय में आदेश प्राप्त किए गए हैं ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(डी.एस. मिश्रा)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वित्त विभाग

पृ० क्रमांक 1209/एफ 1-07/2011

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई, 2012

प्रतिलिपि :-

- 1/ मान० मुख्यमंत्री जी के सचिव, मंत्रालय रायपुर
- 2/ मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, के अवर सचिव, मंत्रालय, रायपुर
- 3/ प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के स्टाफ ऑफिसर, मंत्रालय रायपुर
- 4/ सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के निज सहायक, मंत्रालय, रायपुर
- 5/ सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर
- 6/ प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/कृषि विभाग/लोक निर्माण विभाग/महिला एवं बाल विकास विभाग/आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग/तकनीकी शिक्षा विभाग/आबकारी/वाणिज्यकर/स्कूल शिक्षा विभाग/जनशक्ति नियोजन विभाग, रायपुर
- 7/ विकास आयुक्त/मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, रायपुर
- 8/ आयुक्त/संचालक, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास/तकनीकी शिक्षा/आबकारी/वाणिज्यकर रायपुर
- 9/ समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़
- 10/ समस्त, कलेक्टर, छत्तीसगढ़
- 11/ प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर

- 12/ रजिस्ट्रार, स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई, दुर्ग
- 13/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत-धमतरी/कोरिया/जशपुर
- 14/ आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
- 15/ महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) छत्तीसगढ़ रायपुर
- 16/ समस्त, संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, छ.ग.
- 17/ समस्त, कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़
- 18/ मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर
- 19/ संबंधित अधिकारी श्री/श्रीमती/कु0/-----
की ओर पालनार्थ ।

11/2
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वित्त विभाग,